**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )पराविं/प्रशा.2/सहा.वि.अ.जि.प. सिरोही/निलम्बन पुष्टि/2020/2757 जयपुर,दिनांकः 28/12/2020

## :: आदेश ::

जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 1525 दिनांक 08.12.2020 द्वारा श्री महीपाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पं.स. सिरोही को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय, पं.स. आबूरोड़ (सिरोही) किया गया है, की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है। निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

**(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)**
**अतिरिक्त आयुक्त एवं**
**संयुक्त शासन सचिव–II**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही को उनके आदेश क्रमांक 1525 दिनांक 08.12.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशानात्मक कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र कार्मिक (क–2/निरीक्षण) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(3) कार्मिक/क–3/नि/96 दिनांक 23.05.2002, प.9(3) कार्मिक/क–3/निरी./98 पार्ट दिनांक 19.05.2016 एवं प. 1(125)कार्मिक/क–3/2004 दिनांक 01.07.2006 के अनुसार आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, जॉच रिपोर्ट, परिशिष्ठ–अ,ब,स,द एवं आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले सुसंगत, सुपाठ्य प्रमाणित अभिलेख (प्रति संलग्न) भिजवाना सुनिश्चित करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि श्री महीपाल सिंह के निलम्बन आदेश का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर, प्रमाणित प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ (सिरोही) को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री महीपाल सिंह को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करे। इसके अतिरिक्त इन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
5. श्री महीपाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिरोही (सिरोही) को प्रेषित कर लेख है कि तत्काल कार्यमुक्त होकर, पं.स. आबूरोड़ (सिरोही) में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, पं. स. आबूरोड़ (सिरोही) में संधारित उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करें एवं बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
6. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त आयुक्त एवं**
**संयुक्त शासन सचिव-II**

D:\SSR\CCA PE\2019\Notice 2019.doc